

श्री मयनस बनाम सुरवाराम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

31-5-2012

तारीख हुक्म

हाक

03.03.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2015 में दी गई हिदायत के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी हेतु 32 अवसरों के बावजूद भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नहीं किया गया है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम सीपीसी के तहत Non Compliance में खारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तलबी दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
(दिनांक 03/03/22)
सिंह

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

